SHRl YOGENDRA MAKWANA: Because they have scarce resources. They request the Government of India to help them and the Government of India helps according to the norms perscribed by the Finance Commission. I have made this clear many times.

Now the last speaker, Shri Bhattacharjee, wanted to know how much money is given to Assam. Assam is given Rs. **0. 11** crores for fire, Rs. 31. 83 crores for floods and for drought, if they have any—I do not know—Rs. 7. 40 crores were given to Assam.

कुमारी सईदा खातून : मेरा नाम तो आया नहीं ?

श्री योगेन्द्र मकवाणा : आप का नाम आया था ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश) : इनका नाम सही नहीं लिया गया था ।

SHRI YOGENDRA MAKWANA: Now he wanted to know whether the Government of India monitors it or not. The Government of India monitors the implementation of the drought relief and flood relief programmes. But he wanted to know about a particular area the Barak Valley whether the amount was properly spent o not. Whatever information I have, the State Government says that they are spending it properly. Even then if the hon. Member gives me in writing, I will enquire from the State Government as to how much they have spent in this area and whether they have given relief to the affected people in this area or not. 4. 00 P. M.

Sir, as I said earlier, though there is a drought situation this year, the expected production of foodgrains this year is 151 million tonnes and the highest was in 1983-84, that is, 152. 4 million tonnes. So, compared to the peak year, that is, the peak production of 1983-84, there is not much decline in the production of foodgrains. But, even then, it creates a number of problems like the problem of drinking water, the problem of fodder for the cattle and the problem of unemployment particularly to the landless labourers and the small and marginal farmers. Now, for all these purposes the Government of India is providing help to the State Governments and not only for floods and drought. The Accelerated Rural Water Supply Programme, the Minimum Needs Programme, the NREP, the RLEGP and such other programmes are all for providing help to the small and marginal farmers, to the landless labourers and to the affected people in the States.

Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI H. HANUMANTHAPPA): The House will now take up discussion of the Khadi and Village Industries Commission (Amendment) Bill, 1986. Shri Kalpnath Rai.

## THE KHADI AND VILLAGE INDUS. TRIES COMMISSION (AMENDMENT) BILL, 1986—contd.

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश) : आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय खादी ग्रामोद्योग के सम्बन्ध में सरकार जो विधेयक लाई है और जो संशोधन सरकार ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । खादी का सम्बन्ध भारत की आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ है । राष्ट्रपिता महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह करके हिंदुस्तान के करोड़ों-करोड़ इंसानों के दिलों में छा गये थे और उन्होंने अंग्रेज साम्राज्यवादियों के खिलाफ भारत की जनता को खड़ा किया । खादी दुनिया में साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की बुनियाद के ही खिलाफ रही है । 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई तो यूरोप के औद्योगिक मुल्कों ने जर्मन फ्रांस और इंग्लैंड ने दुनिया में बाजारों की खोज जारी की । उन देशों में ओवर प्रोडक्शन हो रही थी । इसलिये वे एशिया और अफ्रीका के राष्ट्रों में गये और उनको उन्होंने अपना गुलाम बनाया । उन देशों में जो ओवर प्रोडक्शन हुई उसको बेचने के लिये उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों को गुलाम बनाया ताकि लंकाशायर का कपड़ा एशिया और अफ्रीका के देशों में बेचा जा सके । महात्मा गांधी ने जब आजादी की लड़ाई शुरू की तो बुनियादी रूप से विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार करने का आंदोलन चलाया और

[श्री कल्पनाथ राय]

देशवासियों को अपने हाथ से बुनी हुई खादी पहनने के लिये प्रेरित किया । इसका मतलब यह था कि अगर हम विदेशी माल नहीं खरीदेंगे तो साम्राज्यवाद भी समाप्त हो जाएगा और अंग्रेजों को मजबूर होकर जाना पड़ेगा । इस प्रकार से आजादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ भारत की खादी और ग्रामोद्योग का आंदोलन है । गांधी जी ने इस आंदोलन को पूरे देश की आजादी से जोड़ा । उन्होंने हमारे देशवासियों को हाथ की बुनी हुई और काती हुई खादी पहनने के लिये कहा । इस प्रकार से खादी का आंदोलन हमारे देश की आजादी का आंदोलन बन गया । हम मोडर्नाइजेशन, टैक्नोलोजी, विज्ञान, इंजीनियरिंग आदि सभी आधुनिक चीजों के समर्थक हैं । लेकिन किसी भी देश की नीति उस देश की जनता की समस्याओं को मद्देनजर रखते हुये बननी चाहिये । खादी ग्राम योग आज हमारे देश में बेकारी की समस्या को हल करने की दिशा में एक बहुत बड़ा आंदोलन बन सकता है । सरकार को इस सम्बन्ध में नीति बनानी चाहिये । आज दुनिया के बाजारों में हाथ के बने हुये कपड़े उपलब्ध नहीं हैं । जो हाथ के बने हुये कपड़े हैं वे यूरोप के बाजारों में नहीं मिलते । यूरोप के मुल्क या जो दूसरे विकसित मुल्क हैं उनके अन्दर इस बात की बहुत बड़ी भूख है कि हमें हाथ के बने हुये कपड़े मिलें, उनको हम खरीदें, उनको हम पहनें । तो मैं भारत सरकार से अपील करना चाहता हूं कि वे विदेशों में दुनिया के विभिन्न देशों के मार्केट का सर्वे कराये और यह पता लगाने की कोशिश करे कि वहां खादी के बने हुये कपड़ों की कितनी खपत हो सकती है । उन मुल्कों में मशीनीकरण और आधुनिकीकरण के कारण मशीन से बने हुये बढ़िया से बढ़िया कपड़े उपलब्ध हैं । लेकिन हाथ के बने हुये कपड़े उपलब्ध नहीं हैं । क्योंकि वहां पर मजदूरी इतनी मंहगी है कि हाथ के बने हुये कपड़े उनके लिये किफायती नहीं हैं । इसलिये उनमें जो इसकी भूख है कि हम हाथ के बने हुये कपड़े पहनें, हाथ के बने हुये कपड़ों की बैड शीट इस्तेमाल करें, हाथ के बने हुये कपड़ों की साड़ियां पहनें तो इसका फायदा उठाने के लिये भारत सरकार को पूरी दुनिया के इन विकसित बाजारों का सर्वे करना चाहिये और उन मुल्कों में हमारे देश के खादी और ग्रामोद्योग द्वारा बने हुये कपड़ों को बेंचना चाहिये ताकि भारत को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा फारेन एक्सचेंज मिल सके । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की सरकार दुनिया के बाजारों में उन कपड़ों को बेंचती है जो मिलों से बने हुये कपड़े हैं । यूरोप के मुल्क आधुनिकीकरण के कारण जो नये वस्त्र बनाते हैं वे ज्यादा बढ़िया किस्म के होते हैं । अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी क्वालिटी उनकी क्वालिटी से अच्छी नहीं है इसलिये उनके माल की ज्यादा खपत होती है और हमारे देश के बने हुये मिल के कपड़ों की खपत प्राय नगण्य है । आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिये जिसमें हिन्दुस्तान की जनता के लिये मिलों से बने हुये कपड़े हों और विदेशी बाजारों में हिन्दुस्तान के खादी और ग्रामोद्योग द्वारा बनें हुये कपड़े बेंचे जायें ताकि हिन्दुस्तान को विदेशी मुद्रा ज्यादा मात्रा में मिल सके ।

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आज खादी और ग्रामोद्योग विभाग के जितने भी केंद्रीय कार्यालय हैं वे या तो बम्बई में हैं या दिल्ली में हैं । खादी देश के पिछड़े हुये इलाकों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश राजस्थान या अन्य जिन इलाकों में खादी का धंधा होता है उन इलाकों के आसपास इसके केन्द्रीय कार्यालय होने चाहिये । बम्बई में केन्द्रीय कार्यालय क्यों, दिल्ली में केन्द्रीय कार्यालय क्यों ? क्यों नहीं खादी और ग्रामोद्योग का केन्द्रीय कार्यालय पटना में बनता है, लखनऊ में बनता है, जयपुर में बनता है ?

आदरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, तीसरी बात यह है कि खादी और ग्रामोद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं वे अनिवार्य रूप से खादी पहनें । उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश की आजादी की लड़ाई का संबंध खादी से रहा है । मुल्क में खादी पहनो, मुल्क में मद्य निषेध हो, मुल्क में राष्ट्र भाषा का प्रचार हो, ये सारी चीजें हमारी आजादी की लड़ाई के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने शुरू की और इन सारी चीजों

का सम्बन्ध राष्ट्रीय एकता से है, राष्ट्रीय ग्रखंडता से है, राष्ट्र की ग्राजादी से है। ग्रादरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में करोड़ों करोड़ लोग आज बेकारी के शिकार होकर गांवों में पड़े हुये हैं। मैट्रिक ब०ए० एम०ए० पास नवयुवकों को नौकरी नहीं मिलती। इसीलिये खादी ग्रौर ग्रामोद्योग की यूनिटें राष्ट्रीय पैमाने पर विकसित की जायें। इससे हमारी जो ग्रामीण महिलायें हैं वे सूत कातकर पैसा कमा सकती हैं ग्रौर ग्रपने परिवार का पालन पोषण कर सकती हैं। ग्रादरणीय उपसभाध्यक्ष महोदय, खादी ग्रौर ग्रामोद्योग विभाग के मंत्री होंगे ग्रवगाचलम जी। वेंगल राव जो ग्राज केन्द्रीय मिनिस्टर हैं। लेकिन प्रदेशों पर उनका कोई कन्ट्रोल नहीं है। प्रदेशों के जो खादी विभाग हैं उनका संचालन वे नहीं कर सकते। मैंने उन्हें एक पत्र लिखा था ग्रौर खादी यूनिटों के सम्बन्ध में उन्होंने रिपोर्ट मांगी प्रदेशों से लेकिन प्रदेश सरकारों की तरफ से रिपोर्ट ग्राज तक नहीं मिली। ग्रब ग्राप खादी को बढ़ाना चाहते हैं तो उसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार ग्रौर प्रदेश की सरकारों से हो। मैं ग्रापसे निवेदन करना चाहता हूं कि ग्राज खादी ग्रामोद्योग बिलकुल मजाक का विषय बन गया है यानी उत्तर प्रदेश में ग्राज तक पिछले 10 वर्षों से कोई नान-ग्राफिशियल खादी बोर्ड का चेयरमैन नहीं बना है। इसी तरह कई प्रदेशों में जिनको खादी में रुचि न हो, जो खादी पहनता न हो, खादी ग्रान्दोलन से जिनका कोई संबंध न हो, खादी का विकास न करना चाहता हो ऐसे व्यक्तियों को खादी बोर्ड का चेयरमैन ग्राप बनायेंगे जो टेरीलीन पहनेंगे, मिल के बने हुये कपड़े पहनेंगे, जिनका खादी से कोई भावनात्मक संबंध नहीं, जो खादी के महत्व को समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, ऐसे लोगों को क्यों बोर्ड का चेयरमैन बनाया जाता है? मेरा ग्रापसे निवेदन है कि ग्रापको केंद्रीय सरकार द्वारा एक सर्कुलर जारी करना चाहिये कि खादी ग्रामोद्योग में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होंगे वे खादी पहनेंगे। खादी का संबंध भारत की राष्ट्रीय ग्राजादी से है, बेकारी की समस्या को हल करने के लिए जितना हम खादी ग्रामोद्योग को मजबूत कर सकें उतना ही ग्रच्छा है। मशीनीकरण के माध्यम से हम बेकारी की समस्या को हल नहीं कर सकते हैं। 10, 20, 30, 50 या 100 करोड़ रुपये का कारखाना लगता है मगर उसमें हम एक हजार ग्रादमी को नौकरी दे सकते हैं। 10 करोड़ का इनवेस्टमेंट होगा ग्रौर एक हजार ग्रादमी को नौकरी देंगे जब कि खादी ग्रामोद्योग में कोई भी ग्रादमी पांच रुपए का सूत लेकर उससे 10 रुपए कमा सकता है। यानी एक लाख का इनवेस्टमेंट यदि किया जाएगा तो उससे 10 हजार ग्रादमियों को काम मिल सकता है। हमारे देश के ग्रन्दर 75 करोड़ की ग्राबादी है जिसमें पढ़े लिखे ग्रौर गैर-पढ़े लिखे दसियों करोड़ ग्रादमी बेकार हैं। उन लोगों को रोजगार के ग्रवसर देने के लिए हमारी सरकार को खादी ग्रामोद्योग के विषय को ग्रपनी योजना के ग्रन्तर्गत पंचवर्षीय योजनाग्रों में प्राथमिकता देनी चाहिये। सबसे बड़ी प्राथमिकता खादी ग्रामोद्योग को मिलनी चाहिये। ग्राज जनता के प्रतिनिधि संसद् सदस्य, विधायक गांवों में जाते हैं, ग्राज देश के सामने सबसे भीषण समस्या बेकारी की समस्या है, हमारी शिक्षा का व्यवसाय से कोई रिश्ता नहीं है। यह बात मैं प्लानिंग कमीशन के लोगों से कहना चाहता हूं। हमारे मुल्क में सरकार को यह तय करना चाहिये कि ग्राने वाले पांच वर्षों में हमें कितने लोगों की ग्रावश्यकता है, हमारे कितने उद्योग ग्रगले पांच वर्षों लगेंगे ग्रौर उनके लिए कितने टेक्नीकल हैंड ग्रौर राहैंडस की जरूरत है तथा उसके ग्रनुरूप कितने स्कूल कालेजों की ग्रावश्यकता है ग्रौर उनको कैसी शिक्षा दी जानी चाहिये, ऐसा होना चाहिये। ग्राज पढ़े लिखे लोग बेकार घूम रहे हैं जिन पर करोड़ों ग्ररबों रुपए खर्च हो रहे हैं, बी० ए०, एम० ए० पास लोग 100 रुपए की नौकरी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, वे हमारी सरकार के खिलाफ देश का वातावरण बना रहे हैं, ऐसा क्यों है? मैं यह कहना चाहता हूं कि प्लानिंग, एजुकेशन ग्रौर इम्प्लाईमेंट इन तीनों को एक साथ रहना चाहिये। हमारी क्या प्लानिंग है, प्लानिंग के ग्रनुकूल ग्रगले पांच वर्षों में कितने लोगों की ग्रावश्यकता

[श्री कल्पनाथ राय]

है और उस आवश्यकता के अनुरूप क्या उनको शिक्षा दी जा रही है या नहीं दी जा रही है । मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के लोगों ने शराब की दुकानों पर पिकेटिंग की, सत्याग्रह किया और राष्ट्रभाषा का प्रचार काश्मीर से से कन्याकुमारी तक महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया । यही देश-भक्त और राष्ट्र-भक्त की पहचान है । जवाहरलाल नेहरू खुद खादी कातते थे और पहनते थे । खादी के बुने हुये कपड़े पहनते थे । यही देशभक्त, राष्ट्रभक्त और मुल्क के लिए मरने मिटने वाले की पाहचान थी । आज भारत को आजाद हुये 40 वर्ष हो गये हैं लेकिन राष्ट्रभाषा में यहां कोई बोलता नहीं है, राष्ट्रभाषा में बोलने में लज्जा अनुभव होती है, अंग्रेजी में बोलने में गौरव मिलता है । मैं यह पूछना चाहता हूं क्यों नही आप तमिल, तेलुगु, उड़िया आदि भाषा में बोलते हैं ? आप भी अपनी मातृभाषा बोलिए । अपनी मां को मां न कहना और अंग्रेजों की गोरी मां को अपनी मां कहना, यह कोई अच्छी बात नहीं है । अंग्रेजी पढ़नी चाहिये, अंग्रेजी जानना चाहिये । मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं । भारत की संसद में भारत का लड़का खड़ा हो बोलने के लिए और वह भाषण दे अंग्रेजी में । लार्ड मकाले की बोली में । हिन्दुस्तान के हर कैबिनेट मंत्री . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री हेच० हनुमनतप्पा) : खत्म कीजिए ।

श्री कल्पनाथ राय : कैसे खत्म करू, अभी तो शुरू किया है मैंने बोलना ।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री भजन लाल) : अभी तो रेस पकड़ी है ।

श्री कल्पनाथ राय : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपको भी कहना उचित है मेरे लिए । लार्ड मैकाले ने 1827 में जो शिक्षा नीति बनाई तो लार्ड मैकाले ने . . . (व्यवधान) जब अंग्रेजी में लिखा है तो उसको कोट न करें । जब लार्ड मैकाले ने अंग्रेजी में कहा है तो कोट किसमें करूं । लार्ड मैकाले ने 1827 में जब भाषा नीति बनाई तो प्रथम वाक्य में लिखा है

ये लार्ड मैकाले के वाक्य हैं । अगर हिन्दुस्तानियों को सदा के लिए गुलाम बना कर रखना है तो उनकी भाषा अंग्रेजी बना दो । महात्मागांधी गुजराती थे, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बंगाली थे, राजगोपालाचारी तमिलियन थे, पी० प्रकाशम तेलुगु थे, इन सारे राष्ट्र के नेताओं ने राष्ट्रभाषा-मातृभाषा के माध्यम से आजादी की लड़ाई को शुरू किया । मैं हिन्दी नहीं कहता, में मातृभाषा कहता हूं । तमिल में परकालम माने "ठीक है देखेंगे", "वणक्कम" माने नमस्कार । हम "नमस्ते" छोड़ने को तैयार हैं, वणक्कम कहने को तैयार हैं । जो हमारे देश की भाषा है उसमें बोलें चाहे तमिल हो, तेलुगू हो कन्नड़ हो, उड़िया हो या पंजाबी हो । भारत की अपनी संसद भारत की भाषाओं में चले, भारत का विकास भारत की भाषाओं से होगा, भारत की समस्याओं का हल भारत की भाषाओं से होगा । मैं जानता हूं कि आधे मंत्री अंग्रेजी गलत बोलते हैं, पार्लियामेंट के मेम्बर्स गलत अंग्रेजी बोलते हैं । मैंने अंग्रेजी में एम० ए० किया है । ऐसी अंग्रेजी लगातार बोल सकता हूं . . . (समय की घंटी) मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा । यह देश के लिए महान कलंक की बात है कि 40 वर्षों की हिन्दुस्तान की आजादी के बाद भी भारत की संसद् अंग्रेजी में चलती रहे । यह मातृभाषा में चलनी चाहिये ।

आज गोर्बाचेव, कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने पूरे रूस में मद्य निषेध के ऊपर एक भारी जेहाद छेड़ रखा है । मैं कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक चिट्ठी आई है एक कार्यकर्ता की कल्पनाथ जी आपसे मेरी प्रार्थना है कि मेरे गांव में शराब की दुकान मत खोलने दीजिए । जहां नहीं भी शराब की दुकान

है वहां शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही हैं, जनता नहीं चाहती है, वहां के लोग नहीं चाहते हैं फिर भी खोली जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आज नहीं तो 5-10 वर्ष के बाद भारत सरकार को भी गोर्बाचेव की तरह का आन्दोलन करना ही पड़ेगा और इस मुल्क के अन्दर गांधी जी ने जो मद्य निषेध का रास्ता हिन्दुस्तान को बताया था उसी पर आप को चलना पड़ेगा। विश्व शांति हमारी आजादी की लड़ाई का उद्देश्य था। भारत की शान्ति और विश्व की शान्ति। हिन्दुस्तान का विकास और दुनियां का विकास। राजीव गांधी जी ने हरारे की कान्फ्रेंस में कहा था तो दुनिया वालों को एटामिक हथियार मिटाने होंगे वरना एटमी हथियार दुनियां को मिटा देंगे। तब शांति कैसी होगी। आज अमेरिका तैयार नहीं है अपने आणविक हथियारों पर रोक लगाने के लिए क्योंकि पूरे विश्व में अमेरिका की अर्थ-व्यवस्था, मिलिटरी इंडस्ट्री पूरे हथियार बनाने के कारखानों पर टिकी हुई है। अगर वे डिसआर्मामेंट करेंगे तो उनकी एकानामी नष्ट हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। तो महात्मा गांधी ने कहा था सेल्फ रिलायंस, अपने पैरों पर खड़े हो, स्वावलम्बन, अपने पैरों पर खड़े हो। हम अपने मुल्क को जनता की आवश्यकताओं के अनुकूल ही अपने देश में माल बनाएंगे, कारखानों का माल बनायेंगे, वस्त्रों का उत्पादन करेंगे, अन्न उपजायेंगे, अपने देश की आवश्यकताओं के अनुकूल ही पैदावार बढ़ाएंगे। झगड़ा कब होता है एक मुल्क से दूसरे मुल्क के बीच में, जब एक देश अपने माल को दूसरे देश में बेचना चाहता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र में अपने माल को बचना चाहता है, आज क्या कारण है कि अमेरिका हिन्दुस्तान के खिलाफ है। अमेरिका की बुनियादी नीति रही है कि हिन्दुस्तान अपने पैरों पर न खड़ा हो, हिन्दुस्तान एक रा-मैटीरियल सप्लाई करने वाला देश बना रहे और अमेरिका दूसरे देशों को फिनिश्ड गुड्स बेचे। अमेरिका के कारखानों में मैनुफैक्चर्ड गुड्स दुनिया के देश खरीदें ताकि वह अपने पैरों मर खड़े न हों। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने आजादी की लड़ाई के दौरान यह तय किया कि हिन्दुस्तान आजादी के बाद औद्योगिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, और हर क्षेत्र में अपने पैरों पर खड़ा होगा। यही कारण है कि समाजवादी मुल्क हमारी हर नीति का विरोध करते हैं।

मैं, माननीय उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि खादी ग्रामोद्योग को हिन्दुस्तान की बेकारी की समस्या के साथ जोड़िए। हिन्दुस्तान में करोड़ों बेकारों को रोजगार का अवसर दिलाने के लिए खादी ग्रामोद्योग से सस्ता और सुलभ कोई और दूसरा तरीका नहीं है क्योंकि हम मशीनीकरण, आधुनिकीकरण के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन देश की 70 करोड़ जनता को बेकारी की समस्या को मद्देनजर रखते हुये खादी ग्रामोद्योग को हिन्दुस्तान के सात लाख गांव में सात लाख खादी ग्रामोद्योग यूनिट आप खुलवायें और उनके द्वारा बनाए हुये माल को बेचने की मार्केटिंग की व्यवस्था करें। उसमें करोड़ों लोगों को आप रोजगार के अवसर प्रदान करें। तभी हम अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे और हिन्दुस्तान की भीषण बेकारी की समस्या को हल कर सकेंगे।

अन्तिम बात मुझे यह कहनी है कि बम्बई से केन्द्रीय खादी ग्रामोद्योग का कार्यालय हटा कर आप पटना में लाइए, लखनऊ में लाइए, अमृतसर में लाइए, या भोपाल में लाइए, या आप जयपुर में लाइए, जिन इलाकों में खादी ग्रामोद्योग का काम हो रहा है। तमिलनाडु में उसका दफ्तर बनाएये, बम्बई में क्यों खादी ग्रामोद्योग का सेंटर रहेगा?

दूसरी बात, जो आपने 12 बोर्ड के मेम्बर—पांच से बारह किये हैं, उसका हम समर्थन करते हैं। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम सारे इलाके के लोगों का रेप्रेजेंटेशन इस खादी बोर्ड में कीजिए और इस बोर्ड में मेम्बर उसको रखिये जो कम से कम खुद खादी पहनते हों, जो खादी के ज्ञान-विज्ञान में दिलचस्पी रखते हों, जो खादी के पूरे सिद्धान्त को समझते हों, जो खादी और

[श्री कल्पनाथ राय]

गांधी को इन डिटेल समझते हों, ऐसे व्यक्तियों को खादी बोर्ड में लगाइये ताकि हम अपने मुल्क के करोड़ों इनसानों को महात्मा गांधी के बताये हुए रास्ते पर चल कर ग्रामोद्योग के माध्यम से सात लाख गांवों को बेकारी की समस्या को हल कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद करता हूं।

**श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी** (आंध्र प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग (संशोधन) विधेयक, 1986 के बारे में अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। खादी हिन्दुस्तान की आजादी का एक अंग रहा है। महात्मा गांधी की रहनुमाई में, नेतृत्व में खादी को बढ़ावा मिला। गांधी जी का यह विचार था कि जब तक हिन्दुस्तान के लोग यहां की बनी हुई चीजों का उपयोग नहीं करेंगे, उस वक्त तक हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई उतनी आगे बढ़ने में सफल नहीं होगी, जितना कि उसे जाना चाहिये। इसीलिए उन्होंने देश को चर्खा चलाने का मंत्र दिया कि हर घर में चर्खा चले और खादी का उत्पादन हो।

हिन्दुस्तान की आजादी में यह एक बहुत बड़ा आन्दोलन रहा है और जो विदेशी माल आता है हमारे देश में उसका बहिष्कार हुआ। हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद जब स्वतन्त्रता हमको मिली, हम यह चाहते थे कि खादी सारे देश में हर गांव में जो ग्रामोद्योग हैं, वह घर-घर में रहे, गांव गांव में यह पहुंचे, लेकिन सरकार की नीति ऐसी रही है कि इसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। इसकी वजह यह है कि जो हमारे कारीगर थे, जो हमारे गांव के आर्टीजन्स थे, उनकी कला खत्म हो गई थी, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने से ही कला खत्म हो गई थी। उसको फिर से बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ने एक रास्ता निकाला था, लेकिन हिन्दुस्तान की आजादी के बाद जो हमने त्वक्कुफ किया था, जो आशा रखी थी, वह भी पूरी नहीं हो सकी क्योंकि हमारे गांव के कलाकारों को प्रोत्साहन नहीं मिला। आज किसी गांव में कारीगर बाकी नहीं रहे। किसी गांव में जाइये, कोई कलाकार और कारीगर नहीं हैं, वह खत्म हो गये हैं। इसकी वजह यह है कि हम जो सही मायने में कलाकार हैं, जो विलेज आर्टीजंस हैं, उनको हमने प्रोत्साहन नहीं दिया और इस तरफ कोई बराबर योजना नहीं बनाई, जो आज खादी ग्रामोद्योग आयोग है, यह ठीक ढंग से काम भी नहीं कर रहा है। लाखों करोड़ों रुपया सरकार की तरफ से खर्च कर देते हैं, लेकिन आयोग के काम करने का जो ढंग है वह जिस तरीके से काम कर रहा है इसके बारे में कभी सरकार ने सोचा है, जांच किया है और आज जब हम जाते हैं किसी खादी भंडार में खादी खरीदने तो कीमत ज्यादा पड़ती है, लेकिन जो आदमी धागा बनाता है, खादी बनाता है उसको जो वेतन मिलता है इतना कम मिलता है कि वह अपना रोजगार भी बरकरार नहीं कर सकता। यह जरूरी है कि इस खादी ग्रामोद्योग को हर जगह बढ़ावा दें और हर गांव में इसका कोई केन्द्र बन सकता है तो बनाने की जरूर कोशिश होनी चाहिए। इससे दो काम हो सकते हैं एक तो हिन्दुस्तान की जो बेरोजगारी है उसको कुछ हद तक खत्म किया जा सकता है खासकर आज गामीण प्रांत में जो गरीब लोग हैं जो लोग ज्यादा इस काम में लगे हुए हैं। खादी ग्रामोद्योग केन्द्रों में ज्यादा काम करने वाले यही लोग हैं तो इससे उनको उद्योग भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और साथ ही साथ उनको प्रोत्साहन देने का भी रास्ता हम अख्तियार करें। मैं चाहता हूं कि आज की जो नीति में उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। आज जो संशोधन हमारे सामने है इसके मुख्य अंशों के बारे में अपने कुछ विचार रखूंगा। दो तीन सैक्शनों के ऊपर मुझे कुछ कहना है। (समय की घंटी) महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और जब मुझे कुछ कहना है तो समय मिलना चाहिए।

**उपसभाध्यक्ष श्री हेच० हनुमनतप्पा** : टाइम का बटवारा भी तो कुछ हुआ करता है।

**श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी** : मान्यवर, जहां तक यह खादी एंड विलेज

इंडस्ट्रीज कमीशन (अमेंडमेंट) बिल 1986 में जो प्रावधान है उसके बारे में मेरा यह कहना है कि इसमें सैक्शन 2 में जो अमेंडमेंट है, इसकी परिभाषा में कहा गया है :
"Village is defined as an area comprised' in any village, and includes the area com prised in any town the population of which does not exceed ten thousand ................'"
"fixed

यह जो परिभाषा की गई है इसके बारे में सोचना चाहिए कि 10 हजार क्यों रखा गया ? किसी गांव के जो केंद्र हैं उसमें 4–5–6 हजार रहा करते हैं। जो तालुका सैन्टर्ज हैं आजकल म्यूनिसपैलिटीज हो गए हैं। आपका उद्देश्य है ग्रामों में इन सैन्टर्ज को बनाना है तो इस तरफ हमको ज्यादा तवज्जह देनी चाहिए कि ये ग्रामों में ही बने शहरों को तरफ नहीं जाए। दूसरे कैंपिटल इन्वस्टमेंट के बारे में कहा गया है

capital investment means the fixed capital investment per head of an artisan or worker which does not exceed fifteen thousand rupees or such sum,....

इसके बारे में मेरा सुझाव यह है कि आज जो हर चीज की कीमत दिन-बदिन बढती जा रही ह, अगर कोई सही मायनों में आर्टीजन, काई कलाकार कुछ बनाना चाहते हैं तो 15 हजार में कुछ नहीं होगा। इसको बढाना चाहिए और 25 हजार । या 30 हजार तक इसको करना चाहिए। इसके बाद सैक्शन 4 में कहा गया है,

Now, Sir, I come to caluse 4 of the Bill which reads like this:

"The Commission shall consist of the following members apopinted by the Central Government, namely: —

(a) six members representing such six geographical zones of the country as may be prescribed. "

In this connection I would like to state one thing to the honourable Minister. Instead of having representatives from the six geographical zones, I would suggest that representatives from each State should be appointed or representatives from the State Khadi Boards should be taken. They should be given representation. The number has been increased by this amendment from five to 12. If it can be increased more to give more representation to cover all States it will be better. But representatives from each State should be taken in.

As far as appointing members having expert knowledge and experience is concerned, I would like to tell the honourable Minister that only those persons who have firm faith and firm belief in Khadi and in the promotion of khadi and khadi industries should be associated with this. Otherwise they will simply while away their time without knowing the importance of khadi. They will sit somewhere and they will plan and formulate policies, but they cannot implement the programme for which this Act is meant. So it is my earnest request that the Commission should consist of people having faith in khadi.

(The Vice-Chairman (Shri G. Swaminathan) in the Chair.

Of course, they must have expert knowledge and experience, more about economics, planning, rural development, science and technology. But apart from this, they must also have firm belief and faith in the khadi and cottage in village industries.

Then, coming to the functions of the Commission, in section 15 it has been •stated:

"(1) Subject to the provisions of this Act, the functions of the Commission shall generally be to plan, promote, organise and assist in the establishment in the rural area in coordination with other agencies engaged in rural development...

So in (his connection I would like to state that in (a) it has been said:

"(a) to plan and organise training of persons employed or desirous of seek ing employment in khadi and village industries.

Those who are interested must bo taken. But at the same time we have to see that most of the persons from the rural areas should be recruited. You have not defined who should be taken. But what is happening is, for example, take Navodaya schools. These are primarily meant for the rural areas, but the moneyed

("Shri B. Satyanarayan Reddy]

people, who have influence, may grab many seats, and the purpose of the scheme has not been fulfilled. So here we have to see that people coming from the rural areas, artisans, etc., should be encouraged. They should be given some incentives; they must be given training. Otherwise, it will not serve the purpose.

In the same section, in (k) you have said:

"(k) to set up standards of quality and ensure that products of khadi and village industries do conform to the said standards, including...

In the old Act it has been stated in (k): "... ensuring genuiness...

Not only quality, but genuineness also should be there. So I would like the Minister to consider and see that the purpose for which the amendment Bill has been brought forward is served and people are benefited.

Then, in section 18, you have stated:

"The Commission shall have three separate funds to be called the khadi fund, the village industries fund and the general and miscellaneous fund. "

Three funds are there. Of course, they must receive different funds. But these can be clubbed into one fund, and three separate parts can be had.

Then, in the Statement of Objects and Reasons it is stated:

"In order to discharge the new responsibility of the Commission in promoting village industries, it is propsed to strengthen the Commission and increase the maximum membership to twelve. "

It is all right. But, as I said earlier, representatives from the States and from State Boards should be taken in the Commission.

Lastly, I would like to state that wo have got laudable aims and objects. Everything is okay. But the difficulty comes when it comes to putting them into practice. That is very important. In the past it has been our experience—I do not know; I was not a member of any such Commission, but I have been informed—that the Khadi and Village Industries Commission has not been properly working. The Members are not putting in sincere efforts to promote khadi and village industries. Only those people who have firm belief and faith, who can implement and who can dedicate their lives for the promotion of khadi and village industries should be taken into *it* and the Government must see that the Commission functions well for the purpose for which it has been constituted. The object is to provide employment to a large section of the people of rural India and to promote the skills and products of our artisans. We must have marketing facilities. We must place funds at their disposal. We must provide sufficient raw[1] materials. All these things must be taken care of. I request the hon. Minister to take these things into consideration while passing this Bill and see that, when we pass this leigslation with suggested amendments, it is implemented strictly in letter and spirit. Thank you.

**श्री वीर भद्र प्रताप सिंह (उत्तर प्रदेश) :** उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं कल्पनाथ राय जी से प्रेरित होकर हिन्दी में अपनी बात कहने का प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे कुछ अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है।

महोदय, यह जो महत्वपूर्ण बिल हमारे माननीय मंत्री जी ले आए हैं मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में इसे देखता हूं और कहना चाहता हूं कि कानून तो पूर्ण है, उसमें कानूनी कोई कमी नहीं दिखलाई पड़ती है, उसका प्रारूप तो सही बनाया गया है, मगर उसकी आत्मा उसमें से लुप्त हो गई। हमारे एक मित्र ने उस आत्मा की तरफ इशारा किया। तो क्या किसी सोसाइटी या ऐसोसियेशन का मैमोरेंडम आप बना रहे हैं या खादी और विलेज कमीशन बना रहे हैं ? यह मौलिक सवाल मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।

हमारे मित्र ने सही कहा कि खादी और ग्रामोद्योग हमारी राष्ट्रीय योजना में अंतर्निहित भूमिका निभाते हैं। गांधी जी जब खादी का आन्दोलन चलाया, 1920-21 में जब वे देश की आजादी के आन्-आन्दोलन का नेतृत्व करना चाहते थे तो गांधी जी ने खादी और अहिंसा को बहुत बड़ा अस्त्र बनाया। यह देश की कपड़ा नीति

नहीं थी बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ तोड़ने का प्रश्न था। मगर यह तो खादी की बात है। उधर गांधी जी ने ग्रामोद्योग चलाए 20,21 और 22 प्रकार के ग्रामोद्योग उन्होंने इस देश में चलाए ताकि देश की कोटि-कोटि जनता जो गरीब हैं, गरीबी रेखा के नीचे है जिनके पास कोई कारोबार नहीं है, जिनके पास कोई खेती नहीं है, उनकी आजीविका चल सके। अब प्रश्न यह है कि क्या इस बिल से गांधी जी की उन इच्छाओं की पूर्ति होती है? मैं दो तीन आंकड़े दूंगा। महोदय, आज के परिप्रेक्ष्य में 60 लाख लोगों को यह कमीशन काम दे सकता है। जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उसमें 216 करोड़ की लोगों के लिए खादी इस देश में तैयार होती है, यह इस बिल में लक्षित है। 413 करोड़ को विलेज इंडस्ट्री में काम मिल सकता है। मेरे लायक दोस्त ने सही कहा कि आप एक हजार करोड़ रुपए खर्च करके एक कारखाना लगाएंगे तो उसमें एक हजार करोड़ लोगों को काम मिलेगा, मगर आप एक हजार करोड़ रुपए विलेज इंडस्ट्रीज पर खर्च करेंगे तो उससे कम से कम 5 लाख आदमियों को काम मिलेगा।

श्री कल्पनाथ राय : 20 लाख लोगों को काम मिल सकेगा।

श्री वीरभद्र प्रताप सिंह : आंकड़ों में भिन्नता हो सकती है, मगर इस देश के गरीब लोगों को, असहाय लोगों को इससे सहायता मिलेगी।

मैं उस क्षेत्र से आता हूं जहां खादी के बड़े-बड़े उत्पादन केन्द्र हैं। पूर्वांचल में पचासों ऐसे संगठन खादी के कायम हैं जो गांधीवादी लोगों ने खोले हैं। बड़े-बड़े आश्रम बनाये हुए हैं। बहुत बड़ा-बड़ा काम उन्होंने किया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यापक आन्दोलन चला था उसका एक बड़ा लक्ष्य था कि देशी स्वदेशी और उसके साथ अहिंसा जुड़ी हुई हो। अब प्रश्न यह है कि जब कानून के जरिये पिछले कानूनों के दोषों को दूर करना चाहते हैं नये कानून से सुधार लाना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पाता तो मेरा कहना यह है कि यदि आप सुधार नहीं ला सकते तो कम से कम उस को खराब तो मत करिये। यह जो प्रस्तावित संशोधन है, इसी के आधार पर मैं कह रहा हूं कि इसमें खादी और ग्रामोद्योग दोनों लुप्त हो रहे हैं। अगर आप कोई और औद्योगिक समुदाय बना रहे हैं तो मैं समझता हूं आप खादी के साथ और गांधी जी के इस आन्दोलन के साथ अन्याय कर रहे हैं। यह सही था कि आजादी के पूर्व इसका लक्ष्य देश की स्वतंत्रता के आन्दोलन में एक कड़ी जोड़ना था। अगर आजादी के बाद देश के उन असहाय, बेसहारा और निःसहाय लोगों के आंखों के आंसु पोंछना भी लक्ष्य था तो इसी कारण मेरे वामपंथी मित्र ने कहा था कि 20 सूत्री कार्यक्रम में इसका समावेश क्यों नहीं किया गया।

अब मैं कुछ मोटी मोटी बातों की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आपके जरिये मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि क्या कारण हैं? जितनी संस्थाएं बनीं हैं उनमें आप नौकरशाही को क्यों आवश्यक अंग समझ रहे हैं? गांधी जी ने जब इतना बड़ा आन्दोलन शुरू किया था तो गांधी जी की परवाह इतनी थी कि पंडित जवाहर लाल जी वैज्ञानिक समाजवाद में आस्था रखते थे उन्होंने भी चर्खा चलाना शुरू कर दिया था। पंडित जी से जब कोई पूछता कि चर्खा वापस क्यों आता जा रहा है? आप वैज्ञानिक समाजाद के पोषक हैं और गांधी जी का चर्खा क्यों चला रहे हैं तो पंडित जी अपने जवाब में कहा करते थे कि कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्शन। मगर गांधी जी ने इतना व्यापक आन्दोलन बिना सरकारी सहारे के, बिना सरकारी मदद के, बिना नौकरशाही के खड़ा कर दिया था। अब क्या खास बात है कि आप का कोई काम इस देश में नौकरशाही के बिना नहीं चल रहा है। 13 आदमियों का बोर्ड है। इसमें आपने 6 अधिकारियों को रख दिया और 6 गैर अधिकारियों को रख दिया और एक चेयरमैन रख दिया। इसमें एक बहुत बुरी बात है कि जो चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर है उस को भी बोर्ड का मेम्बर बना दिया। जो फाइनेंस आफिसर है छोटा अधिकारी है उस को

[श्री वीरभद्र प्रताप सिंह]

को भी इस बोर्ड का मेम्बर बना दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि और यह सही बात है कि किसी नौकरशाह के आदमी ने यह बिल तैयार किया है। माननीय मंत्री जी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। जब यह कानून खादी और ग्रामोद्योग के लिए बना रहे थे और गांधी जी के उन आन्दोलनों को इस देश में जिन्दा रखने के लिए बना रहे थे तो जिस तबके से गांधी जी सबसे दूर रहते थे आपने उसी चीज को इस बोर्ड में क्यों रख दिया? अच्छा मान लिया आपने रख दिया तो आप ने उसमें यह प्रावधान क्यों नहीं किया कि जो भी बोर्ड का मेम्बर होगा वह खादी कातेगा, चर्खा चलायेगा, खादी के वस्त्र पहनेगा। मालूम होता है खादी आन्दोलन में आजादी के बाद जो पालिएस्टर खादी की संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है वह इस बिल में प्रतिबिम्बित हो रहा है। क्यों हो रहा है इसका एक कारण मेरे पास है। जब आप खादी का समग्र आन्दोलन उन लोगों के हाथ में दे देना चाहते हैं जो न खादी कातते हैं और न खादी पहनते हैं। और खादी प्रोग्राम में न उनका वैचारिक आधार है और न ही उसमें विश्वास है। आपने बहुत से व्यावसायिक निगम बना रखे हैं। इन निगमों में ये लोग काम कर रहे हैं, सरकार के अन्दर भी नौकरशाह हैं। ऐसी स्थिति में कम से कम एक संस्थान में जिसका संबंध गांधी जी से रहा है, जिसका संबंध इसदेश की आजादी के आन्दोलन से रहा है, उसको आप इन नौकरशाहों के प्रभाव से मुक्त क्यों नहीं रखते हैं? मैं आपके सामने एक सैद्धान्तिक सवाल रखना चाहता हूं। जहां टेक्नोक्रेट की जरूरत है वहां पर आप नौकरशाह देने जा रहे हैं। जहां पर विशेषज्ञ है जहां पर विशेषज्ञ अच्छा काम कर सकते हैं वहां पर आप नौकरशाही को ला रहे हैं आज स्थिति यह है कि आप नौकरशाही को हर मर्ज की दवा समझ बैठे हैं। इसलिये हमारे जो पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्ज हैं उनमें घाटा हो रहा है। केवल इसी कारण से वे संस्थायें घाटे में चल रही हैं। हमारे मुल्क में एक गलत धारणा पैदा हो गई है कि नौकरशाही हर रोग की दवा है, हर मर्ज की दवा है। हर चीज में उसको रखा जा रहा है, हर संस्थाओं में उनको रखा जा रहा है। पब्लिक सैक्टर की संस्थाएं आपने उनके हाथों में दे रखी हैं लेकिन जिन संस्थाओं का संबंध जन आन्दोलन से है, देश की आजादी से है, उनको आप इनसे मुक्त क्यों नहीं रखते हैं? मैं चाहता हूं कि कृपया आप इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कीजिये। हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती रहेगी। हम सख्ती से भी हमारे देश की जनसंख्या के बढ़ने को नहीं रोक सकते हैं। हमें अपने देश में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाना है। इसलिये खादी आज के परिप्रेक्ष्य में, जैसा प्रो० निर्मल चटर्जी ने कहा बहुत ज्यादा सापेक्ष है। आजादी के आन्दोलन में जिस संस्था की इतनी सापेक्षता रही हो, आज के परिप्रेक्ष्य में उसकी सापेक्षता और भी ज्यादा हो गई है। मैंने इस संबंध में खादी बोर्ड के लोगों से बात की है: खादी बोर्ड के सदस्यों से बात की है। खादी ग्रामोद्योग में 20–21 ऐसे उद्योग हैं जिनको अगर सचमुच में गांवों में लागू किया जाय तो किसी भी गांव में कोई अनइम्प्लोयमेंन्ट नहीं होगी। मैंने खुद एक केन्द्र में देखा है। वह सूत के उत्पादन का केन्द्र था जहां पर लूले लंगड़े, बच्चे और महिलाएं चार सौ रुपये महीने कमा रही थीं। वे कोई अन्य मजदूरी करने के योग्य नहीं थे। कोई भी अन्य कारोबार वे नहीं कर सकते थे, कोई पैसा नहीं कमा सकते थे। लेकिन लूले-लंगड़े लोगों को, बच्चों और महिलाओं को कम से कम चार सौ रुपये तो मिल रहे थे। हमारे देश में कई ऐसी महिलाएं हैं जो अपने घर का काम करके अगर चार घंटे मधु पालन में लगायें तो वह अपनी जिन्दगी का खर्चा चला सकती हैं। उसको किसी अन्य पर अवलम्बित रहने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि ये जो 20–21 उद्योग हैं उनकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब मैं आपसे दो तीन चीजें खादी संगठन के संबंध में अनुरोध करूंगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी उत्सुकता देख रहा हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। यह कहा जाता है कि खादी की बिक्री

कम हो रही है। खादी हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई चीज है। खादी का हम इस देश में अधिक से अधिक प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि भारत सरकार ने खादी के प्रचार और प्रसार के लिए इस विधेयक में क्या प्रावधान किया है। आप जानते हैं, आज का युग प्रचार और प्रसार का युग है। जिस देश की नींव खादी रही है उस देश में आज खादी की बिक्री कम हो रही है। इसका क्या कारण है? आप कमीशन भी देते हैं। रिबेट पर खादी की चीजें बेचते हैं। क्या आपने इसका पता किया कि कहीं इसमें धोखाधड़ी तो नहीं हो रही है। सरकार ने कितने ही कमीशन बनाये, कितने ही कानूनों में परिवतन किया, लेकिन कमीशन के काम में जो चोरी होती है उसको रोक नहीं पाये हैं। कमीशन की चोरी वही रोक सकता है जिसकी आत्मा इससे जुड़ी हुई हो, जिसने अगर भारत के स्वतंत्रता आन्दोलन को देखा नहीं हो परन्तु कम से कम समझा तो हो। इसलिये इस पर आप गंभीरता से सोचिये। आप जब रिबेट घोषित करते हैं, केन्द्रीय सरकार करती है, प्रान्तीय सरकारें करती है तो चिप्पी उतारों और नई चिप्पी चढ़ाओ और जब रिबेट खत्म हो जाता है तो फिर पुरानी चिप्पी कायम कर दी जाती है। इसमें करोड़ों करोड़ रुपयों का गबन चल रहा है। मैं आप को एक मोटा उदाहरण देता हूं। हम संसद सदस्य हैं। कांग्रेस के और विरोधी पक्ष के बहुत से सदस्य खादी पहनते हैं। हमारी एनेक्सी में इतनी चीजें हैं, वहां सुपर बाजार खुला है तो आप वहां पर खादी और ग्रामोद्योग का एक केन्द्र क्यों नहीं खोल देते। एक बात और मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि आजकल देश में नकली खादी बहुत चल गई है। गलत रिबेट लेने के लिये, सरकार को धोखा देने के लिये, सरकार को ठगने के लिये, लूटने के लिये बड़े गिरोह पैदा हो गये हैं। जो पहले डकैती डाला करते थे उन्होंने डकैती छोड़ दी और अब ठेकेदारी करते हैं और इस तरह का धंधा अपना लिया है। ये जो आप इसमें रिबेट देते हैं तो ये नकली खादी बेचने वाले सारा रिबेट खा जाते हैं और नकली खादी बेचते हैं। इससे खादी के आंदोलन को मौलिक रूप से बहुत आघात लगा है।

अंत में मैं एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी यह मिलीजुली खादी की जो नीति है यह गलत है। जब से हमारी पार्टी में यह चर्चा आरम्भ हुई और इसमें नौजवान आये तो उनको तो खादी की कोई जरूरत नहीं है। उनके लिये अगर जरूरत है तो बड़ी उत्तम कोटि की खादी की, गांधी जी की तरह मोटी खादी की नहीं। अम्बर चर्खा खादी बहुत अच्छी होती है लेकिन जब से पालिस्टर कल्चर खादी में आया है उसने खादी की रीढ़ तोड़ दी है। खादी की आत्मा मंत्री जी, कानून से नहीं बना करती है। वह उनसे बनती है जिनका उस पर विश्वास हो, जो उसके आदर्शो पर चल सकता हो। खादी में जिन का विश्वास है आप उन लोगों को उस व्यवस्था में नहीं रखते। खादी के जो केन्द्र हैं उनमें हमने खुद जाकर देखा है कि वहां ऐसे लोग हैं जिनका इस पर विश्वास है लेकिन ऊपर आप ऐसे व्यक्तियों को बैठा रहे हैं जिनका उसमें विश्वास नहीं है। आपने यों ही कानून बनाने में देरी की है। इसलिये आप मंत्री महोदय, कोई ऐसा तरीका निकालें जिससे इसकी जो मूल आत्मा है, खादी का जो मूल रूप है, उसका समावेश इस संशोधन में हो जाय ताकि खादी और ग्रामोद्योग यहां फलफूल सके और भारत की आने वाली नस्लों के लिये वह एक आदर्श बने। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRI GHULAM RASOOL MATTO (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, while I agree with the spirit of the Bill, I am afraid if the Bill in the present form is passed, it will create a lot of confusion and so much confusion that the very purpose of this Bill will be defeated. The redeeming feature is that this Bill has first been introduced here. I would

[Shri Ghulam Rasool Matto]

humbly request the hon. Minister to kindly withdraw this Bill and constitute a Joint Select Committee of both Houses who should be asked to report back in the next session. Why I say this is that it is all right that the Bill has been brought on the recommendations of the expert committee formed by the Government but when we see the position on the ground, we find so many lacunae in the Bill that it needs to be scrapped; it needs to be modified in consultation with Members of Parliament. There are many defects in the Bill. My friend Shri Satyanarayan Reddy pointed out with regard to population that it has been kept at 10, 000. This is just impossible. quote the example of my own place. Even in Tamil Nadu, I find Madurai is a very big city and is the biggest centre of khadi. How can you say that a Khadi institute established in Madurai will not be entitled to the benefit because it is situated in Madurai although it may cater to a number of adjoining villages? Similarly, take the case of my own State. The biggest centres are Sopore, Pampore and Pulwama, where the population is not less than 25-30, 000. Do you mean to say that they will not be entitled to the benefit which they are getting at the present moment? This is one big difficulty which I would like to point out.

The second thing which I would like to refer to is in regard to the composition of the Commission. This has been increased from six to twelve members. As my friend, Mr. Bir Bhadra Pratap Singh, has pointed out, it is loaded with bureaucracy. The Bill talks about six regions. Each region has its importance in its own way. Take, for instance, the Eastern region; Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh etc. They have different types Of khadi; woollen khadi, cotton khadi etc. Similarly, West Bengal has Murshidabad silk khadi. My humble suggestion, therefore, is that all the States should be represented. The Chairman of th Khadi Boards of all the • States should be members of the Commission. I think, it is workable. There will be only 23 members. At least, they should be permanent invitees to the deliberations and decisions taken accordingly.

The third thing is" with regard to the appointment of the Chairman. I would like to refer to sub-clase (b) of clause 6A, which says that the Central Government may, by notification in the Official Gazette, remove from office any member of the Commission who in the opinion. of the Central Government has failed or is unable to carry out his duties. This is such a disastrous and obnoxious provision. What is happening at the present moment is, with every change in the. Government, the Chairman of the Khadi Board is also changed. This should not be there. The tenure of the Chairman should be fixed[1] as in the case of the members. I do not mind if you bring down the tenure from five to three years. But it should not be that with every change in the Government, the Chairman of the Khadi Board is also replaced. This happens in every State. I can say it of my own State. There was a Chairman who was replaced, when the new Government came, by another person because somebody had to be provided for. Another thing which I would like to point out is in regard to definition of rural areas which ready mentioned.

Then, 1 would like to refer to what has been said in the Statement of Objects and Reasons of the Bill, in regard to section 14 of the Act. It says:

"According to the proviso to subsection (2) of section 14 of the Act, no person whose honorarium or maximum salary exceeds rupees five hundred per month can be appointed by the Commission except with the previous approval of the Central Government. This has resulted in considerable adminstra-tive delays in matters relating to appointments to posts carrying maximum honorarium or maximum salary of more than rupees five hundred per month. It is therefore proposed to omit the proviso. "

This is not correct. This is because when you compare the emoluments of the Chairman of different State Boards, you find that the Chairman of one State Board is being paid very high honorarium whereas the Chairman of another State Board is being paid very low honorarium.

I would suggest that the Central Government should intervene after a particular level. You can say that if the honorarium exceeds Rs. 2, 000, the Central Government's permission should be taken.

Similarly, there are various other provisions which create a lot of confusion. Therefore, I would request the hon. Minister to kindly withdraw this Bill and form a Select Committee which can go into the merits of the Bill. The 5. 00 P. M. last point that I have to say is with regard to what Shri Bir Bhadra Pratap Singh said. I do not agree with, him on one point. Polyester is a petroleum product. We produce our own oil in Assam, Bombay High and other places. The by-product of petroleum is as good an Indian product as cotton.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: I said about polyester culture.

SHRI GHULAM RASOOL MATTO: I have only to state that we have to move with the time. The khadi movement has also to move with the time. A dhobi charges Rs. 2 for each cloth but you can wash polyester khadi at home itself. But there is one point which I would like to bring to the notice of the hon. Minister. In this there is a lot of *hem pkeri* as pointed out by Shri Bir Bhadra Pratap Singh in respect of marketing and rebates, but with regard to manufacture also there is a lot of *hera pheri* which the Commission should go into. I know of cases where villagers have to spin woollen yarn out of wool. They can make both ends meet if they are paid Rs. 80 per kg. as spinning charges. What the middleman does, he gets the yarn spun from mills. You are supplying them the wool tops or the wool, but they are getting it spun from mills and then that man uses machine—spun yarn and gets Rs. 80 *in lieu* of Rs. 15 or 20 that he has paid for machine spinning. Similar is the case with polyester. Polyester fibre is mixed with staple fibre, viscose fibre and again it is machine-spun yarn and the end-product is projected as hand-spun yarn. This is what is happening in khadi. I think the Government should think about it and see what can be done.

The best way is that there should be separate spinning centres, and the weaving centres should be separate. They should not be same because when the same are the spinning and the weaving centres, such things can happen. Therefore, I would request the hon. Minister to consider this and get it examined by the Khadi Board.

With regard to the original Bill, as I said, if this Bill is passed in the present form, will create unprecedented problems and the Minister will have to coma before this House with an amending Bill within a period of six months itself.

So, I will request him to report to the concerned Minister that this Bill should bo considered by the Joint Select Committee of the two Houses. A well-considered Bill in the proper form shuld be presented, before the House in the next session.

**डा० गोविन्द दास रिछारिया** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे बहुत अच्छा एक बिल खादी ग्रामोद्योग कमीशन के बारे में लाए हैं। मैं उनकी इस बात से भी सहमत हूं कि अभी तक जो 5 सदस्य होते थे खादी ग्रामोद्योग कमीशन में उनको बढ़ा दिया जाए और बढ़ा करके उनकी संख्या 13 कर दी जाए। यह भी अच्छा संशोधन उन्होंने किया है कि देश के जोन्स बनाए जाए और हर जोन से एक-एक सदस्य कमीशन में आना आवश्यक हो ताकि यह शिकायत न रहे कि कोई हिस्सा छूट गया है कमीशन में क्योंकि यह कमीशन अत्यंत आवश्यक कमीशन है और इसमें हर जोन से देश के हर हिस्से से लोगों का समावेश होना आवश्यक है। मैंने आपके द्वारा अपने उद्योग मंत्री जी से यह निवेदन करना है कि वे इस बात का ध्यान रखें और इस पर निश्चित तौर से विचार करें। माननीय प्रधान मंत्री जी ने यह कहा था कि हमारे देश में जो नीतियां चलती हैं उनमें गांधी जी का सिद्धांत और पं० नेहरू जी के जो सिद्धांत हैं आधारभूत तौर से उनको हम आगे बढ़ाते हैं और उनको किसी तरह विकृत नहीं होने देते हैं। लेकिन

[डा० गोविन्द दास रिछारिया]

मुझे आपके द्वारा यह बड़ी नम्रतापूर्वक उनसे निवेदन करना है कि यह बिल आपने जिसके द्वारा बनवाया हो या तो आपने स्वयं उसे सावधानी से नहीं देखा है या इस बिल को बनाने वाले या गठित करने वाले जिनके द्वारा आपने इसका गठन किया है वह खादी के विशेषज्ञ नहीं थे ग्रामोद्योग के विशेषज्ञ नहीं थे। इसलिए इसमें कुछ कमियां रह गई हैं जिनको निश्चित तौर से आपको उनमें परिवर्तन करना है।

मैं इस बात को मानता हूं कि आपको खादी से प्रेम है क्योंकि मुझे खादी वालों ने बताया कि आप शीघ्र ही खादी का जो एक सम्मेलन वर्धा में सेवाग्राम में हो रहा है उसका उद्घाटन करने भी जाने वाले हैं। इसलिए यह तो निश्चित है कि खादी से आपको प्रेम है लेकिन आपके द्वारा जो बिल पेश हो उसमें कमियां रह जाएं यह मैं ऐसा समझता हूं कि आपके लिए अच्छी बात नहीं है राज्य सभा के लिए अच्छी बात नहीं है और इस स्वतंत्र भारत के लिए अच्छी बात नहीं है।

मुझे यह निवेदन करना है कि गांधी जी ने स्वतंत्रता के समय जब पहले आंदोलन चलाया और खादी को जन्म दिया तो चर्खा संघ के नाम से एक संस्था की स्थापना की थी और सारे देश में जब वह आंदोलन चलाते थे चाहे स्कूल को छोड़ने का आंदोलन हो, चाहे वकालत छोड़ने का आंदोलन हो, तो वह जो उनके स्वयं सेवक युनिवर्सिटी छोड़ कर आते थे वह या जो उनके स्वयं सेवक वकालत छोड़ कर आते थे गांधी जी उनको आदेश देते थे चाहे जो पढ़ा-लिखा विद्यार्थी हो, चाहे कितना भी बड़ा युनिवर्सिटी का प्रोफेसर हो, वकील हो, उनको आदेश देते थे कि चर्खा कातो, खादी बेचो यही तुम्हारा काम है और उनके आदेश से बड़े से बड़े जो स्वतंत्रता के बाद नेता हुए देश में और मंत्री हुए, उन्होंने सब ने खादी बेची और चर्खा चलाया।

इस तरह से जब देश स्वतंत्र हो गया तो गांधी जी ने यह भी एक बार कहा था कि खादी वस्त्र नहीं इसमें स्वतंत्रता का विचार है यह एक वस्त्र नहीं है खादी, इसमें स्वतंत्रता का विचार छिपा है।

मुझे फिर आपके माध्यम से मंत्री जी से यह निवेदन करना है कि अगर आज गांधी जी जिंदा होते उनकी आत्मा जैसे हम मानते हैं कि जिंदा है तो निश्चित तौर से जिस तरह खादी के धागे में और वस्त्र में उस समय स्वतंत्रता का विचार छिपा था आज खादी खाली वस्त्र नहीं है बल्कि लोकतंत्र के आधार जो हमने गरीबी मिटाने का आंदोलन चलाया है लोकतंत्र के आधार पर आज हमें समाजवाद तक पहुंचना है, लोकतंत्र के आधार पर जो हमारे देश ने संकल्प किया है स्वावलम्बन का, वह हम खादी ग्रामोद्योग के द्वारा ला सकते हैं और इसलिए खादी ग्रामोद्योग कमीशन के बिल को रखते समय या उसको पास करते समय निश्चित तौर से हमें उसमें यह देखने की आवश्यकता है कि गांधी जी का जो सिद्धांत है उसका हनन् न हो। उसमें जैसे कि वीर भद्र प्रताप सिंह जी ने आपको संकेत दिया था और बताया था कि कुछ दोष आ गए हैं—सब से बड़ा दोष यह आ गया है कि जो हम निवेदन करना चाहते हैं हमको जो स्वतंत्रता के बाद आर्थिक क्रांति करनी है बगैर हथियार उठाए गांधी जी के रास्ते से अहिंसा के रास्ते से जो हमको देश को स्वावलम्बन तक ले जाना है और गरीबी मिटानी है—आप क्या सोचते हैं कि आपकी नौकरशाही उसमें काम करेगी ? गलत है—जिसने यह सोचा है या समझा है।

हमें आपसे निवेदन करना है कि निश्चित तौर से आपके वह स्वयं सेवक जो गांव में रहते हैं निश्चित तौर से वह गरीब जो आपके देश में करोड़ों लोग रहते हैं उनके हाथों में आप यह आंदोलन सुपुर्द कीजिए। वही गरीबी

मिटाने के लिए इस क्रांति को जो आपके लिए आवश्यक है, जो आपने प्रतिज्ञा की है वही इस क्रांति को लायेंगे । (समय की घंटी) और इसी के साथ मैं आपके द्वारा यह भी मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं ... (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I wish to inform "Members that there are still another five Members to speak, the honourable Minister to reply and the House is supposed to adjourn at six o'clock. So I would request the Members that they may speak for not more than 10 minutes each.

**श्री बीर भद्र प्रताप सिंह :** उप-सभाध्यक्ष महोदय ये वाइस चेयरमैन भी रहे हैं।

- THE VICE-CHAIRMAN (Shri G. Swaminathan): I am not particularly telling him. I am only indicating the time.

SHRI BIR BHADRA PRATAP SINGH: Let him speak, Sir. He is a Vice-Chairman of the All-India Khadi Board.

THE VICE-CHAIRMAN (Shri G. Swaminathan): I am not mentioning about him. I am only indicating the general trend of the time for the information of the members.

**डा० गोविन्द दास रिछारिया :** मैं यह निवेदन कर रहा था जैसा अभी हमारे साथी ने बताया मैं खादी ग्रामोद्योग आयोग में चार वर्ष तक वाइस चेयरमैन रहा हूं। मैं यह जानता हूं और आपके द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आज जितनी संस्थाएं देश में हैं उनमें सब से अधिक अगर कोई उपयोगी एवं अच्छी संस्था इस देश में गरीबी मिटाने के लिए है तो वह आपका खादी ग्रामोद्योग कमीशन है। जब आप बिल ला रहे थे तो मैं यह सोच रहा था कि आपने उसमें यह व्यवस्था की होगी कि इसकी शाखाएं किसी तरीके से हर गांव सभा में खुलें, किसी तरह से हर गांव सभा और उस क्षेत्र के रहने वाले जो गरीब है उनको आप काम देंगे। इस बात की व्यवस्था आपने उसमें की होगी, लेकिन आपने उसमें ऐसा किया नहीं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इसमें यह परिवर्तन कर दें कि पंचायत राज की जितनी संस्थाएं हैं, चाहे ग्रामसभा हो, चाहे ब्लाक समिति हो या जनपद पंचायत हो या जिला परिषद जिला पंचायत हो उसको इस बात का अधिकार हो कि वह खादी ग्रामोद्योग आयोग से टैक्निकल सहायता लेकर, ऋण ले करके प्रत्येक गांव में उसका एक सेन्टर खोल दे और भारत सरकार की तरफ से इस बात का एलान कर दे कि जो भी गरीब हैं और गरीबी की रेखा से नीचे हैं उनकी महिलाएं जो खाली रहती हैं उनके बच्चे जो खाली रहते हैं, उनके गांव में जो गरीब रहते हैं, वे जो रोजगार चाहते हैं जो काम चाहते हैं उस गांव में आपका जो सेन्टर है उसकी तरफ से मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था जब आप सारे देश में करेंगे तो आपका जो सिद्धांत है आप जैसा चाहते हैं वह क्रांति बहुत जल्दी सफल होगी। पंडित नेहरू ने जो कोशिश की थी कि लोकतंत्र के आधार पर हमको गरीबी मिटानी है लोकतंत्र के आधार पर देश को समाजवाद तक ले जाना है और जो हमारी संस्था और राष्ट्रीय कांग्रेस और हमारे राष्ट्र ने जो स्वीकार किया है लोकतंत्र के आधार पर हमको गरीबी मिटा कर समाजवाद तक पहुंचना है यह भी तभी सफल होगा इसलिए मेरा आपसे पहले तो नम्रतापूर्वक निवेदन है कि यह सही है कि आप इसे जल्दी पास करना चाहते हैं, लेकिन जल्दी पास कराने का मतलब यह नहीं है कि आप उसमें कुछ कमी छोड़ दें। यह मौके बार-बार नहीं आते। इसलिए मेरा आपसे नम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप दोनों हाउस में राज्य सभा और लोक सभा में बहुत से ऐसे सदस्य हैं जो कि खादी संस्थाओं के चेयरमैन हैं उनके अध्यक्ष हैं। ऐसे जो लोक सभा के सदस्य हैं और यहां राज्य सभा में भी जो तमाम सदस्य हैं उनकी एक मिली-जुली सिलेक्ट कमेटी बना दें। बेशक उसे बहुत थोड़ा समय दें और

[डा० गोविन्द दास रिछारिया]

एक महीने के अन्दर आप चाहें तो 31 मार्च तक का समय लेकर उससे रिपोर्ट मंगा लें जिससे आपके इस बिल में जो कमी मालूम पड़ती है वह दूर हो जाए। मैंने खादी वालों से बात की है तमाम सदस्यों से बात की है जो कि खादी से प्रेम रखते है उन लोगों से बात की है जो कि स्वतंत्रता के आन्दोलन से लेकर अब तक खादी का काम बराबर कर रहे हैं और संस्थाएं चला रहे हैं उनका भी कहना है कि इसमें कुछ दोष रह गए हैं। उन दोषों का दूर होना बहुत आवश्यक है। जैसे इसमें दस हजार की एक सीमा रेखा खींच दी है। हम यह निवेदन करना चाहते हैं कि दस हजार से जो बड़ी आबादी है क्या उसमें गरीबी की रेखा से नीचे के लोग नहीं रहते हैं वहां भी निश्चित तौर से ऐसे लोग रहते हैं और आपने इसमें एक व्यक्ति को एक सीमा दे दी है कि उसमें 10 या 15 हजार की इससे ज्यादा पर पैसा नहीं लिया जा सकता है तो यह ठीक नहीं है कि तेल घानी जो व्यक्ति लगाता है जो गरीब आदमी लगाता है, उसमें भी इससे ज्यादा पैसा लगता है। महंगाई का जमाना है। इस तरह से इसमें कुछ व्यावहारिक कमियां रह गयी हैं और कुछ इस तरह की कमियां रह गयी हैं जिसको दूर करना अत्यन्त आवश्यक है। इसलिए फिर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आपके द्वारा मंत्री जी से कि निश्चित तौर से या तो जो आवश्यक सुझाव आए हैं यह जो आपने सरकारी आदमियों को शामिल कर लिया यह किसके सुझाव से आपने शामिल कर लिया जब यह आपके सामने कैसे आया था, तब उसको आपने स्वीकार कर लिया, इसको आप फौरन हटा दें और गैर-सरकारी व्यक्तियों को शामिल करें, चाहे कोई आफीसर हो, चाहे फाइनेन्स आफीसर हो उसको कतई आपको खादी कमीशन का सदस्य नहीं बनाना चाहिए।

मान्यवर मैं भी कमीशन का उपाध्यक्ष रहा हूं। मैं आपसे व्यक्तिगत तौर से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इससे आपका आन्दोलन बहुत पीछे हो जायेगा और इससे बहुत नुकसान होगा। अगर आप यह सुझाव जल्दी में अभी स्वीकार न करना चाहें तो दूसरा रास्ता यह है कि आप 31 मार्च तक के लिए इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को देने की कृपा करें ताकि इसमें जो कमियां हैं वह दूर की जा सकें और जो गांधी जी की आत्मा चाहती थी जो नेहरू जी चाहते थे और जो इंदिरा जी स्वयं चाहती थीं जिसके लिए वे बलिदान हुईं उन्हें जहां देश की एकता और अखंडता प्रिय थी वहां देश की गरीबी मिटाना वह सबसे आवश्यक मानती थीं इसलिए आज हमें मंत्री जी से कहना है कि गांधी जी की आत्मा आपकी तरफ देख रही है पंडित जवाहर लाल जी ने जो सिद्धांत बनाए थे, वे भी आपकी तरफ देख रहे हैं और इंदिरा जी जिसके लिये बलिदान हुईं वे भी आज आपकी ओर देख रहे हैं और चाहते हैं कि भारतीय संसद् राज्यसभा और लोकसभा उनके लिए कानून को किस तरह से पास करती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप निश्चित तौर से जो हमारे साथी सिंह जी ने सुझाव दिए हैं जो मैंने नोट कराए हैं और दूसरे साथियों ने दिए हैं या तो उनको स्वीकार कर लिया जाय या फिर इस बिल को 31 मार्च तक के लिए सेलेक्ट कमेटी को जिसमें लोक सभा के भी सदस्य हों और राज्य सभा के भी सदस्य हों देने की कृपा करें। धन्यवाद। जयहिन्द।

SHRIMATI ELA RAMESH BHATT (Nominated): Hon. Vice-Chairman, Sir, this Bill seems to have been prepared in a hurry. But there are a few points worth welcoming. Let me mention them.

I welcome the specific emphasis on ru- " ral areas I welcome the intention of the Bill to broadbase the programme of the KVIC. This hopefully will enable the KVIC to be flexible to cater to the needs of the local employment situation.

The investment up to Rs. 15, 000 for employment should be able to create new employment in the rural areas. However, my concern is how we can ensure that the new employment so created will not

thrive at the cost of the existing small and tiny employments in the villages. There is no assurance in this regard in the Bill that the small artisans will not be displaced from their existing employment.

I would also like to state here that khadi has shown a vast potential of employment in rural areas where there is no employment for all the year round. In Gujaral, khadi programme has proved fairly useful to the tribals and to landless agricultural workers. Particularly during these days of drought the State Government relief work has included khadi work in a big way. At least it is better than cutting stones and digging earth. Wherever I go to drought areas, the villagers demand more and more *charkhas.* But khadi still today is not a full-employment programme. Moreover, with very low wages, particularly to spinners, it becomes an exploitative system. Hardly any serious thought is given to make Khadi a full employment programme. The present structure of KVIC needs restructuring, but that is not reflected in the present Bill. Khadi work has remained only a relief programme for the jobless and turns producers to the status of workers and labourers. It is no more a Gandhian constructive programme. The Ramakrishnayya Committee Report has dealt with various gaps in the KVI programmes, but the Bill does not reflect the recommendations of the Ramakrishnayya Report. Today, with the increasing market orientation of KVI sector, the KVIC is going farther away from the local people. KVTC's monitoring role does not extend beyond financial examination of funds' advanced to these organisations of the KVICs.

The basic problem is of non-representation of workers in any of the bodies responsible for management of these industries — either at the voluntary organisation level or at the State Board level or at the national commission level. Even the all-India KVI Board excludes any actual worker on this board. How then can KVH represent the interests of the rural atisans, which is one of the hallowed functions of the KVIC?

The present Bill does mention strengthening of the Commission by increasing, the number of members. The Bill has certainly thought of just representation, of different regions of the country. In the expanded Commission, however, the Bill does not think of giving representation to the actual producers and workers.

It is very essential to develop a system of fair representation of actual artisans and workers not the master craftsman type who employ others at exploitative wages from the bottom to the top- on KVI structure. Without their representation the low wages of the producers, paticularly spinnes will never be raised.

The second point I would like to make is to ensure that big assets created by KVIC funds should eventually belong to-the actual producers - individually or collectively - to be managed by them to promote self-reliance. Self-reliance is the fundamental conditons of KVI programmes. If this cannot be done, then let us I not link Gandhi this name with the Khadi Gram Udyog. If this cannot be done then it would be better to accept these industries as commercial interests or as comercial organisations and apply all our labour laws to protect the rights of workers. Even the benefit of rebate also does not reach the producers.

Now, I would like to say something about women. Women workers constitute 46 per cent of the KVI work force. Their condition is particularly vulnerable. KVIC ! has done nothing to alter the traditional undervaluation of women's labour or to change the pattern of sexual division of labour. But KVIC has rather perpetuated this sexual division of labour. In KVIC women are doomed to only spinning yarn, only pounding spices or rolling papads agarbattis. They are hardly provided employment in weaving or processing or dyeing or roof tilling or various types of non-traditional trades. It is now high-time that in various schemes having traditional and non-traditional trades women's skills are upgraded. As at present women are doing lowly tasks and are being provided meagre wages Ther. efore, special protec-I tive measures are needed to upgrade wo-

[Shrimati Ela Ramesh Bhatt]

men's skills and to establish equality in the rural industries

Provision of child care and maternity benefits and other supportive services are now accepted by the Government of India as essential to any women's development programme, are totally missing. Sir, these supportive services are totally missing in KV1C programmes. The KVIC needs to promote organisations of the actual workers, who are the actual producers. The KVIC needs to ensure their representations at all levels of the structure. KVIC must provide training, processing and management services to the workers and also women. Today they are entirely controlled by fat trusts and by men and by the urban elite. There must be a direct access to KVIC's credit and marketing service not via other agencies. The present Bill is totally silent on producers' representation and protection. Bringing in more experts and officials on the Commission cannot resolve these problems. The Government must hold a dialogue with the producers including women and make them aware of their rights and responsibilities.

My last point is of a little concern and of a little caution. The Government may examine seriously the inter-relationship between its own rural anti-poverty programmes and the structure of markets and credit that it has promoted I am afraid whether this Bill would endanger the Government's most major programme for elimination of poverty in rural aeas. The pogrammes of KVIC and the Government anti-poverty programmes like IRDP or DWACRA would need close coordination.

With these words, I would like the Minister to rethink about this Bill. Thank you.

**श्री राम चन्द्र विकल** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि इस महत्वपूर्ण खादी और ग्रामोद्योग आयोग संशोधन विधेयक पर मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर आपने दिया।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा सभी माननीय सदस्यों ने कहा है शुरू में तो मैं भी इस विधेयक को साधारण और छोटा सा समझता था लेकिन ज्यों-ज्यों माननीय सदस्यों के विचार सामने आये, हमारे बहुत ही विधिवेता वीर भद्र प्रताप सिह जी, सत्यनारायण रेड्डी जी और मट्टू जी और जो खादी बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं हमारे रिछारिया जी, इन सब की शंकाओं से मैं भी शंकित हो गया हूं। इनकी बात सुनने के बाद मेरी भी राय बन गयी कि यह महत्वपूर्ण विधेयक तो है और देश के करोड़ों लोगों के जीवन से इसका सम्बन्ध है तब इस बिल को संयुक्त प्रवर समिति को चला जाना चाहिए। इससे कोई हानि होने वाली नहीं है। सदन अभी चलने वाला है इसको बाद में भी लाया जा सकता है, सोच-विचार कर लाया जा सकता है। अगर मंत्री जी को इसमें कोई आपत्ति हो तो सदन देर तक बैठा कर अपनी तरफ से संशोधन लाकर, जो उपयोगी संशोधन हो, पास कराया जा सकता है लेकिन इसे बिना संशोधन के पास कर देना मैं समझता हूं निरर्थक होगा। मान,ीय सदस्यों की शंकाएं निर्मूल नहीं हैं, उनमें जान है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को प्रवर समिति को दे दें एक हफ्ते के लिए या दो हफ्ते के लिए और इस सैशन के अन्दर अन्दर इसको पास कर दें। इसको ज्यादा लम्बा ले जाने की जरूरत नहीं है। इसकी जो उपयोगिता रही है वह यह कि इस देश की आजादी से जुड़ी हुई संस्था रही है। हमारे देश के जो नेता थे वे समझते थे कि राजनीतिक आजादी खाली हमारे लिए जरूरी नहीं है आर्थिक आजादी भी हम को लेनी है।

मुझे भी एक जिले का खादी ग्रामोद्योग संघ चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था—बुलन्दशहर (उत्तर प्रदेश) में। डा० बद्रीनाथ जी संयोजक थे और मुझे सेक्रेटरी बनाया गया। कई रचनात्मक कार्य होते थे और कितने ही लाभ होते थे। आजादी का आन्दोलन जब चल रहा था तो हमने उन दिनों पैसे से कभी खादी

नहीं खरीदी। खादी कातते थे उसको बेचते थे उसके बदले में कपड़ा मिला करता था। स्वावलम्बी भी होते थे। गांव में बहुत से रचनात्मक काम हुए। चाहे लकड़ी का काम हो, लोहे का काम हो ये सब उससे जुड़े हुए थे। शिक्षा का उन दिनों अभाव था। इस खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा सैकड़ों स्कूलों को नौएडा, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहर जिले में और दूसरी जगहों में स्थापित किया गया। आज हमारा देश आजाद है, हमारी सरकार है। लेकिन कुछ बुनियादी चीजें ऐसी दिखाई दे रही हैं कि हम कुछ मूलभूत बातों से धीरे-धीरें दूर हटते जा रहे हैं। खादी का संबंध शांति और अहिंसा से है। मैं यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूं और स्वास्थ्य के लिए भी खादी सबसे ज्यादा उपयोगी है। टेरेलीन के कपड़ों से काफी बीमारियां होने का डर रहता है। मैंने एक ऐसे बच्चे को देखा है जो टेरेलीन के कपड़े पहन कर बेहोश हो जाता था। मैं इन दिनों नेचरोपैथी की तरफ भी ध्यान दे रहा हूं। जब उस बच्चे के कपड़े बदले गये तो उसकी बेहोशी ठीक हो गई। हमारे बाबा जी के सामने जब वह बच्चा लाया गया तो उन्होंने कहा कि इसको टेरेलीन के कपड़ों के बजाय खीदी के कपड़े पहनाओ और जब उसको खादी के कपड़े पहनाये गये तो वह बच्चा ठीक हो गया और उसकी बेहोशी जाती रही। इसलिए मैंने कहा कि खादी का साइकोलोजिकल प्रभाव है। इसका संबंध शांति और अहिंसा के साथ स्वास्थ्य से भी है। इस विषय पर काफी लम्बी चर्चा की जा सकती है। माननीय सदस्यों ने अपने विचार खादी के संबंध में व्यक्त किये हैं। खादी की उपयोगिता को देखते हुए, इसकी हमारे देश में जो आवश्यकता है उसको देखते हुए मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाये। इसमें आप जितने भी मेम्बर उचित समझते हैं उनको रख लें। यह समिति इस पर विचार कर ले। माननीय सदस्यों ने इस बात की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित किया है कि आपने इसमें ऐसे लोगों को भी रख दिया जिनकी खादी में रुचि नहीं है। अगर उनकी रुचि ही खादी के काम में नहीं होगी तो वे काम क्या करेंगे? मुझे भी कुछ संस्थाओं को चलाने का सौभाग्य रहा है। यू०पी० में कई विभागों में मैं मिनिस्टर भी रहा हूं। मंत्रियों और चेयरमैनों की व्यक्तिगत रुचि का बहुत महत्व होता है। अगर उनकी किसी काम में रुचि होती है तो वह काम जल्दी हो जाता है। मैं यह नहीं कहता कि सभी अधिकारी बुरे हैं। कुछ अधिकारी बहुत अच्छे भी हैं। अगर बोर्ड में ऐसे अधिकारी होंगे जिनकी रुचि खादी के काम में नहीं होगी तो उससे कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। बोर्ड में ऐसे ही लोग होने चाहिए जिनकी रुचि खादी के काम से हो। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंप दीजिये। इस विधेयक में आपने तादाद बढ़ाई है, यह उचित है। हमारा देश बहुत बड़ा है। देश की एकता और प्रत्येक प्रान्त को नुमायन्दगी देने के लिए यह बहुत जरूरी है। अगर आप इनकी संख्या 12 भी कर दें तो यह बहुत ज्यादा नहीं होगी। आपने इनकी अवधि भी तीन वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी है। लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति तीन वर्ष तक ठीक काम नहीं करता है और उसकी अवधि में घाटा हो रहा हो तो आप उसको हटा भी सकते हैं। ऐसा प्रावधान आप कर सकते हैं। जिन लोगों में कार्यक्षमता नहीं है, जो मैनुपुलेशन से आ जाते हैं, जो केवल शौक के लिए बना दिये जाते हैं, उनके संबंध में आपको विधेयक में कोई प्रावधान करना चाहिए। यह विधेयक देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित है। इस विधेयक का संबंध करोड़ों नर-नारियों से है। हजारों, लाखों को इस विधेयक से रोजी-रोटी मिलती है। हमारे देश की मुस्लिम महिलाएं जो पर्दे में रहती हैं वे अपने घर पर सूत कात कर अपनी रोजी-रोटी कमा सकती है। विधवा महिलाओं को इससे काम मिलता है। हमारे देश में बेकारी दूर करने का यह सबसे बड़ा माध्यम है। शहरों और गांवों में जो असहाय और निराश्रित हैं उनको खादी के काम में लगाया जा सकता है। इसलिए मेरा विनम्र

[श्री रामचन्द्र विकल]

विवेदन है कि इस विधेयक पर व्यापक रूप से विचार करने के लिए ग्राप इसको संयुक्त प्रवर समिति के सामने रखिये। वह कमेटी बैठकर इस पर विचार करे। जिन मैम्बरों को ग्राप उचित समझते हैं उसमें रखिये। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ग्रौर सिफारिश करता हूं कि इसको प्रवर समिति के पास भेजा जाये।

SHRI H. HANUMANTHAPPA (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, without going into the ideololgical background of khadi and village industries about which all my honourable friends have spoken, I want to concentrate on the amendments that have been brought before the House One Bill was moved and that was withdrawn and when the second Bill was moved in the House I expected that it would be a comprehensive Bill covering all aspects, all lacunae, which had been noticed and that we would be able to remove all the hurdles in the successful deveolpment of khadi and village industries in the country.

Sir, I went through the amending Bill. I do not know on what basis the industries are being sent to the villages. Just because they have been called 'as village industries, they have been literally made to go to the villages. Actually, when Gandhiji thought of these khadi and village industries, it was only with the idea of creating an economic activity in the family so that the poorest of the poor can earn something for livelihood. If this criterion or if this touchsone is applied, then, Sir, I am sorry to say, the definition of village industries, on account of which they are being sent to the villages, shows that we are drifting from the touchstone given by Gandhiji and, at the same time, we. are denying an opportunity for economic artivity to a person below the poverty line who lives in a town with a population of more than ten thousand.

Today, many people live in slums. Their life is not better than the life of the villagers, But if some economic activity can generate an income for them, for those who live in the slums, why not then allow these village industries? Just be- -cause it is called as village industry, cannot a person, who is living in a town and who is no better than a villager, take up this industry? I think there must be an ppportunity to a poor person to have some economic activity. In the case of the IRDP and DRI, we have given some formula to identify the reasons for giving: the required technical and financial support and, therefore, some economic activity is generated. But in the case of the khadi and village industries, they do not requires that much of training, but they can create some economic activity in individual families and they can make them earn their livelihood. Therefore, I think that there is a necessity for rethinking on this clause which will send these industries to the villages and protect only those that are existing in the towns. I would request' the honourable Minister to bestow his- attention on this aspect.

Secondly, we are fixing the jurisdiction of the village industries. Today, the products of the village industries have a very good market in the urban areas, I mean, the products of both the khadi and village industries. Are we now taking away the sales activities from the towns? No. An institution which is in a village has to-open a branch in the urban areas which have a population of more than ten thousand, If only the existing bhandars or units are protected, how will the products come? Where will they come from? When employment generation is increased, we will have to depend upon the urban purchasers also. So, again it contradicts the very purpose of calling them as village industries and sending them to the villages because village producers have to depend on the urban markets.

Now, coming to the question of membership, in the Statement of Objects and Reasons it has been stated:

In order to discharge the new responsibility of the Commission to promote the village industries, it is proposed to strengthen the Commission,

Mere, number, I do not think, is going to give any strength to the Commission. Earlier, the number of members was between three and five and everyone of them was a full-time member, the Chairman, the Vice-Chairman the Member-Secrertary and the other member. We have seen that many of them were full-time workers. Now, except the Chairman, all the others are only part-time members. Is it strengthening the Commission? I do not think we are strengthening the Commission by just increasing the number of members and enhancing the number to 12. There were five full-time members and we have removed them. But we have made the number to 12 who are only part-time members except the Chief Executive Officer who has been made the Member-Secretary. The Financial Adviser is a member of the Commission and the Chairman is a wholetime official according to the amendment before us now. So, in my view, this is not strengthening the Commission. If the intention of the Government is to look after the industries that have been developed or improved in far away villages and in almost all the States, if the Government really feels that there is the necessity to strengthen the Commission, I think a re-thinking is necessary. Every one of these members, if he has to justify his membership, should be a full-time member. If he is only a part-time member, comes once in a month to attend a meeting, gives his suggestions and goes away, how are you strengthening the Commission? It totally contradicts the objective for which the amendment is meant.

Now, about the qualifications of members, it is only geographical qualifications: Six members representing geographical zones. I am totally sorry to say this, Should be not have any background— at least a belief in the philosophy, in the Gandhian ideology? Should he" not have at least faith in the concept of khadi and the decentralised economy? Sir, I have full faith and confidence in Mr. Arunachalam who is piloting the Bill today. I am happy that he is a khadi wearer. But time will come when the interpreters and implementers will be sitting somewhere in the South Block or North Block or some industry ministry and they will see the literal meaning of the Act and then say: pick up someone from Orissa, someone from Kanyakumari, someone from Gujarat, someone from Madhya Pradesh, and then say that this fulfils the conditions of the Act, I am sorry unless the membership is qualified, we will certainly not be strengthening the Commission and not elevating the Commission in its standard. I think this should be further qualified; while at least making rules, this may kindly be taken note of. If this is not done, the very purpose of the amendment will be defeated. I have no objection to including the technicians in the membership. If technology is required, if it is entering the village industry, I must very, much welcome it. It will reach every hut in the rural areas.

Sir, coming to another—clause—clause 13 it is stated:

> "Every member of the Commission including the chairman shall hold office for a term of five years. "

What is wrong if after the expiry of five years the entire Commission can be continued? Now the life span is five years. Only the Chairman's term has been extended now, and not of other members. I feel that the term of the entire Commission should be extended. This aspect may be considered. Sir, I have my objection to clause 13(2) and want to go back again to the membership of the Commission. Nowhere it is stated that six members of the Commission are non-official members. Again there is a change of interpreting this according to their own whims and (fancies, because nowhere it is said that they will be non-official members. Even the Chairman is equated with Chief Executive Officers, Financial Adviser and other members. It says:

> "The terms and conditions of service of the Chairman, Chief Executive Officers, Financial Adviser and other members shall be such as may be prescribed.

[Shri H. Hanumanthappa]

I do not know how the Government can say that the membership is different from the Chief Executive Officers or the Financial Adviser. If the service condition of the Chairman is the same as that of the Chief Executive Officer and the Financial Adviser, I am sorry the Chairman may not be in a position to discharge his duties effectively.

You have created three funds. You will be meeting the requirements under the Act and place them before both the Houses of Parliament. It is all right. I want to deal with one or two aspects. One of the things is the disparity in the pay scales of khadi workers. There are people working in Khadi Commission and State Khadi Boards. They don't have sufficient technical staff on the rolls. But the real workers are working in the institutions where they produce khadi and village industries. Their service conditions are far from satisfactory. Even the labourers under the Industrial Disputes Act have got better amenities. 1 suggest a committe for this purpose. The Khadi Commission has also looked into this aspect. There are reports of several State Boards.

The Commission was given production and sale subsidy earlier. That system has been withdrawn. That can be reintroduced with the condition that the institutions can make use of this subsidy on the basis of production and sale. It is an incentive for the khadi institutions. The service conditions of the employees who are working **for** the khadi and village institutions should be improved.

There is one more aspect. Spurious khadi is entering the market through many of the bhandars. I think in the Amending Act, a note should be taken of that also. That has become a threat to the marketing of khadi and village industries. Spurious khadi bhandars are being run and the Government has to think as to how best these spurious khadi bhandars can be checked.

Lastly, any amount of spoon-feeding will not make khadi and village industries self-suporting unless you take a firm stand of protecting the industry as well. Today nearly 45-50 lakh workers are working in khadi and village industries. You have no alternative to it. We are prepared to close the khadi and village industries tomorrow provided there is an alternative employment source in their own huts. They should not be compelled to go the cities. New cities will create further hazards. I think the Governmnt policy must be very clear on protecting the khadi and village industries. I want to request the Government to protect khadi and villages industries against the competition of mill cloth and other major industries which are in direct competition with the Khadi and Village Commission.

With these words I request the Minister to consider some of the suggestions at least while framing rules. I expect a favourable reaction to my suggestions.

Thank you.

**श्री रजनी रंजन साहू (बिहार)** : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मौका दिया इसके लिए आपको सहस्र धन्यवाद। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता जो मेरे पूर्ववक्ता कह चुके हैं। फिर भी इस बात पर एम्फेसिज देना चाहता हूं कि खादी और ग्रामोद्योग हमारे देश की आजादी के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन और खादी ग्रामोद्योग एक ही सिक्के के दो रूप हैं। खादी स्वतंत्रता आंदोलन की धुरी मानी जाती रही है, खादी सादगी एवं स्वावलम्बन के प्रतीक चर्खा संघ के माध्यम से सम्पूर्ण देश की सेवा करता आ रहा था। यह बात अलग है कि इसकी कार्य-प्रणाली को सुचारु रूप से चलाने के लिए प्रत्येक प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग संस्थाओं को विकेंद्रीकरण कर दिया गया और आजादी के बाद सरकार द्वारा भी खादी एण्ड विलेज इण्डस्ट्रीज कमीशन एक्ट, 1956 में पारित किया गया। आज इतने लम्बे अरसे के बाद इसमें कुछ अमेंडमेंट्स लाये गये हैं।

मैं साफ शब्दों में अपने साथियों के साथ इस बात को कहना चाहता हूं। कि यह अमेंडमेंट्स पूर्ण नहीं हैं। इन अमेंडमेंट्स में काफी कमियां हैं, फिर भी जो अच्छे मुद्दे हैं, उनका मैं समर्थन करता हूं, और जो अमेंडमेंट बिल लाया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, धीरे-धीरे खादी ग्रामोद्योग जीवन-यापन का एक साधन बनता गया और प्रत्येक गांव में खादी एवं ग्रामोद्योग का उत्पादन बढ़ता गया, पर आज की बदली हुई परिस्थिति में उन मान्यताओं को नया रूप देना होगा। शायद इसी हेतु यह बिल सदन के समक्ष रखा गया है। जैसाकि मैंने कहा यह अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसके कार्यक्षेत्र को वृहद करने हेतु धारा (2) में सुधार लाया गया है। मैं उसका समर्थन करता हूं। पर ग्रामोद्योग की परिभाषा बदली गई है, जिससे आयोग की सहायता अधिक से अधिक ग्रामवासियों को मिल सके। यह सही रूप से इस बिल में नहीं लाया गया है। उद्योग की नई कल्पना भी की जा रही है। इस आलोक में खादी और ग्रामोद्योग द्वारा ग्रामीण औद्योगिकरण प्रभावी हो और तीव्र गति से कुटीर उद्योग बढ़े और आयोग का सहयोग मिले, इसके लिए इसका आयाम बढ़ाया गया है और इसके उद्देश्य इस अमेंडमेंट बिल द्वारा ब्राडबेस्ड किये गये हैं।

इस देश का औद्योगिक नक्शा तेजी से बदल रहा है। इसके साथ खादी और ग्रामोद्योग का योगदान भी समानांतर रूप से चलता रहे, इसके लिए इसमें एक्ट्स में परिवर्तन लाना होगा। और भी इसमें सुधार करने की आवश्यकता है ताकि इसके स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन लाया जाए। इसके अध्यक्ष, चीफ एक्सीक्यूटिव आफिसर फाइनेंशियल एडवाइजर का दायित्व तय किया गया है, इसके सदस्यों की संख्या बढ़ा कर बारह कर दी गई है। उपसभाध्यक्ष जी, यहां मेरा एक निवेदन है, माननीय मंत्री जी से, कि जिन सदस्यों का नामिनेशन भारत सरकार करे, जैसा कि हमारे पूर्व साथियों ने कहा, इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि खादी कमीशन के सदस्यों का मनोनयन ऐसे ढंग से होना चाहिए, जो सिर्फ, जैसा कि हमारे हनुमनतप्पा जी ने कहा सिर्फ जोगरफीकल रीजन की वजह से नहीं हों, इसमें ऐसे लोगों को होना चाहिए जो खादी और ग्रामोद्योग में आस्था रखते हों, जो खादी के प्रति समर्पित हों, उन्हें ही इनका सदस्य बनाना चाहिए। 1956 में जब यह बिल लाया गया था उस वक्त इन बातों पर पूर्णतः अमल किया जाता था। पर बाद में देखा गया कि इसके नोमीनेशन्ज भी पोलिटीकल होने लगे। फलस्वरूप कमीशन का काम एक सरकारी विभाग की तरह होने लगा। मैं इस संबंध में मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहूंगा कि खादी कमीशन के कार्य को सरकारी विभाग की तरह करते हुए देख कर स्व० आचार्य विनोबा भावे ने जो सही मायने में गांधी जी के अनुयायी थे उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि चूंकि खादी कमीशन की आस्था इसके मूलभूत सिद्धांतों से अलग हो रही है अतः सरकार इसे खादी मिशन के रूप में गांव-गांव तक ले जाए। इसके लिए उन्होंने खादी मिशन नाम की एक संस्था स्वर्गवास होने के पूर्व स्थापित भी की थी। उस खादी मिशन में खादी में समर्पित लोगों को रखा गया था ताकि खादी कमीशन भी खादी मिशन का काम वह कर सके। उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे गौरव प्राप्त है कि मैं एक खादी परिवार का व्यक्ति हूं जिसने आजीवन खादी और ग्रामोद्योग में अपना जीवन अर्पित किया है उस परिवार का मैं सदस्य हूं हमारे बहुत से साथी जो स्वतंत्रता एवं खादी आंदोलन से जुड़े हुए हैं वे स्व० ध्वजा प्रसाद साहू का नाम सुने होंगे वे खादी ग्रामोद्योग कमीशन के सदस्य भी 1956 के बाद वह रह चुके थे। वे जीवन के अंतिम चरण में विनोबा जी के द्वारा स्थापित खादी मिशन का काम बिहार में कर रहे थे। जब कभी मैं सैशन के बाद घर जाता था तो वे यह बताते थे कि खादी एवं ग्रामोद्योग ही ग्रामीण वासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में मदद कर सकती है। उन्होंने खादी मिशन द्वार बिहार राज्य में एक पंचायत में इसका एक्सपेरीमेंट भी किया जहां तीन सौ परिवार से अधिक लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर ले आने का उदाहरण आज भी मौजूद है। जहां की महिलाएं चरखा चलाती हैं और प्रति माह 400 से 500 तक का सूत उत्पादन करती हैं और जो

[श्री रजनी रंजन साहू]

उन परिवारों के मेल मैंबर्ज हैं उनकी आय है जो वे स्वयं अर्जित करते हैं। उप सभाध्यक्ष महोदय कहने का तात्पर्य यह है कि इस तरह से उनका ग्रामीण जीवन ऊपर उठाया जा सकता है हां एक बात अवश्य ध्यान में रखने में योग्य है कि सूत कातने वालों को मार्केटिंग की व्यवस्था कमीशन को करनी चाहिए। उसे उनकी क्वालिटी पर निगरानी के साथ-साथ उसकी क्वालिटी मैनटेन भी रहे इसकी व्यवस्था खादी कमीशन को करनी चाहिए। उनकी फिनिश गुड्ज में रिटेल आउटलैट की व्यवस्था तथा रिसर्च एंड डिवैलपमेंट की भी व्यवस्था खादी कमीशन को करनी चाहिए तभी जो लोग सूत का उत्पादन करते हैं, जो लोग खादी मिशन के तहत गरीबी की रेखा से ऊपर कार्य कर रहे हैं उनका काम सुचारू रूप से चल सकेगा। मैं खादी एवं रिव्यू कमेटी की अनुशंसा की सराहना करता हूं। 6.00 P.M. उन्होंने यह कहा है कि—इस शताब्दी के अन्त तक देश का प्रत्येक गांव एक ग्रामीण इकाई की तरह आ जाये। इसमें कम से कम 20 से 30 प्रतिशत तक विलेज आर्टिजन इन्कम लेवल, इसमें लगे लोगों की आय गांव में आधुनिक तकनीकी से काम करने वाले किसानो के बराबर हो जाये।

उपसभाध्यक्ष महोदय लघु उद्योग से यह उद्योग भिन्न है। अतः इसे पेकेज आफ असिस्टेन्स भी लघु उद्योग से भिन्न मिलनी चाहिए। भारत सरकार एवम् राज्य सरकार के वित्तीय निगम को भी इसे आर्थिक सहायता देनी चाहिए। साथ ही सरकार द्वारा ग्रामोत्थान के लिए जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें तालमेल हो उसमें एक तादात्म्य स्थापित हो। ऐसी एक कंप्रेहेन्सिव रिपोर्ट तैयार कराना चाहिए ताकि अलग-अलग डफली और अलग अलग राग न हो सके और डवलपमेंट का काम गांव गांव में समुचित रूप से चल सके।

उपसभाध्यक्ष महोदय मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन इस बात की मैं सराहना करना चाहता हूं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से छठी पंचवर्षीय योजना में इसके उत्पादन एवम् विक्रय में काफी बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने कहा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में 16.47 करोड़ **(समय की घंटी)** का उत्पादन हुआ और छठी योजना में 1040 करोड़ का उत्पादन हुआ है ... **(समय की घंटी)** ...

बस, एक मिनिट में खत्म कर लेता हूं। इस की बिक्री में भी बढ़ोतरी हुई है। लेकिन जितनी बढोतरी होनी चाहिए जितनी दूसरे उद्योगों में हुई है वैसी नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और अपने साथियों के साथ आवाज मिलाकर कहना चाहूंगा कि खादी कमीशन का खादी मिशन की तरह काम करना होगा और भी इसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है **इस पर** पुनः विचार करें।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत-बहुत आभार मानता हूं और धन्यवाद देता हूं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): The hon. Minister will reply on Monday.

**ANNOUNCEMENT RE. ALLOCATION OF TIME FOR DISPOSAL OF GOVERNMENT LEGISLATIVE AND OTHER BUSINESS**

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI G. SWAMINATHAN): I have to inform Members that the Business Advisory Committee at its meeting held today, the 5th March, 1987, allotted time for Govern-